

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/17/2016/18-5  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/01/2017

उप नियंत्रक  
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय  
भोपाल ।

विषय :- बैतूल विकास योजना 2021 में उपांतरण ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सूचना दिनांक 28/01/2017 की हिन्दी की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना का साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।  
संलग्न : यथोपरि

( सी के साधव )  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
भोपाल, दिनांक 28/01/2017

क्रमांक-एफ-3/17/2016/18-5  
प्रतिलिपि:-

आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की और सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि नगर तथा ग्राम निवेश की बेबसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

संचालक  
नगर विकास विभाग  
भोपाल  
क्रमांक 137  
311117, Addd T  
विकास योजना  
नियंत्रक आयुक्त

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

23/11/17

T.C. कर

7/MP/S  
4.2.17

11/2/17  
JDMF

31/2/17

31/2/2017

13.2.17

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय

// सूचना //

भोपाल, दिनांक 28/01/2017

क्रमांक-एफ-3-17/2016/18-5-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित)-1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3/17/2016/18-5, दिनांक 28/09/2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित बैतूल विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-


अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम मौजा टेमनी	19	53.852 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय
		योग-	2.00 हेक्टेयर		

1. भूमि का आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है। अतः भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

2. प्रश्नाधीन भूमि कोसमी जलाशय के समीप है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना की जाना अनिवार्य होगा । परिसर से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के प्रवाह की व्यवस्था जलाशय की विपरित दिशा में ही करना अनिवार्य होगा ।
3. उपरोक्त उपांतरण बैतूल विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
( सी के साधव )  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

3/1/2017